हमीरपुर ।

सेवा में,

प्रबंधक, महर्षि विद्या मन्दिर, जिला परिषद कैम्पस,

हमीरपुर ।

पत्रांक / /मान्यता/96-97 दिनांक- 5-4, मार्च 1997.

विषय - व्यक्तिगत प्रबंधीकरण द्वारा संचालित विद्यालय को प्राथमिक स्तर की अस्थाई मान्यता की स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला मान्यता समिति की बैठक दिनांक 21-3-97 में लिये गये निर्णयानुसार एवं राजाज्ञा सं0 230/15-6-96-1एस(7)/89, शिक्षा (6) अनुभाग लखनऊ दिनांक 18 जनवरी 1996 में निहित निर्देशानुसार व्यक्तिगत प्रबंधीकरण द्वारा संचालित आपके विद्यालय को शिक्षा सत्र 1996-97 से 1998-99 अर्थात 1-7-96 से 30-6-99 तक के लिए प्राइमरी स्तर (कक्षा 1 से 5 तक) की अस्थायी मान्यता निम्न प्रतिबंधों के साथ प्रदान की जाती है।

इस संबंध में आपको स्पष्ट रूप से अवगत कराना है कि जिन प्रतिबंधों के साथ आपके विद्यालय को अस्थायी मान्यता प्रदान की गयी है, उन प्रतिबंधों की पूर्ति एवं नियमों का पालन कड़ाई से पूर्ण करना सुनिश्चित करें। अन्यथा दिये गये प्रतिबंधों को 30-6-99 अथवा निर्धारित तिथि तक पूर्ण न होने पर आपके विद्यालय को निर्गत की गयी मान्यता किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।

प्रतिबंध :-

1. विद्यालय समिति का पंजीकरण या नवीनीकरण कराया जाय तथा इस कार्यालय को सूचित किया जाये ।
2. प्राप्त कोष की अचल सम्पत्ति का मूल्यांकन सक्षम राजस्व अधिकारी से वार्षिक सत्यापन सहित प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय ।
3. छात्रों के बैठने के लिए समुचित व्यवस्था की जाय। विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क लिया जाय, एवं निजी भवन की व्यवस्था की जाय ।
4. विद्यालय में सभी प्रशिक्षित अध्यापक रखे जाय। बिना अनुमति के कोई अध्यापक न रक्खा जाय, न निकाला जाय ।
5. विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम लागू किया जाय ।
6. खेल के मैदान की व्यवस्था की जाय ।
7. इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा सभी निर्देशों/आदेशों का पालन किया जाय ।

भवदीय,

(एस0पी0 सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
हमीरपुर ।

पृष्ठांकन संख्या / 87-90 /मान्यता/96-97 दिनांक उसी तिथि को ।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रथम/द्वितीय हमीरपुर ।
2. जिला समाज कल्याण अधिकारी हमीरपुर ।
3. क्षेत्रीय सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी नगर हमीरपुर ।